निर्मलजीत कौर जे**. के सम** क्ष

ग्राम पंचायत**,** विलेज नानक पुरा संधोला**,** तहसील पेहोवा**,** जिला कुरुक्षेत्र याचिकाकर्ता

बनाम

कुलबीर सिंह और अन्य प्रतिवादीगण

2019 का सीआर No.567

16 अगस्त, 2019

भारत का संविधान**, 1950-**अनुच्छेद **227-**सिविल प्रक्रिया संहिता**, 1908-O. 39 Rls.1** और **2-**पंजाब ग्राम सामान्य भूमि **(**विनियमन**)** नियम**, 1964-(**जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है**)-**सामुदायिक केंद्र/जांजघर/पंचायत घर-क्या निर्माण के लिए राज्य की मंजूरी की आवश्यकता है-नहीं।

मान लिया कि, 1964 के नियमों के नियम 3 (2) (XXVIII), जो निम्नानुसार हैः-

"3. XXX XXX XXX

3(2) अधिनियम या इन नियमों के तहत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, पंचायत अधिनियम के तहत उसमें निहित जमीना का उपयोग या तो स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए कर सकती है।

(i) से (xii) XXXXXXXX

(xiii) पंचायत घर या जंजघर या गाँव चौपाल (xiv) से (XXVIi) XXX XXX

((xviii) कोई अन्य संबंध सामान्य उद्देश्य।

(पैरा 3)

ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त नियम का परंतुक ग्राम पंचायत के लिए खंड (xix) से खंड (xviii) के तहत राज्य की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य बनाता है। यह तर्क

कि सामुदायिक केंद्र का निर्माण खंड (2) के (xviii) के तहत आता है, जो कि ' कोई अन्य संबंधित सामान्य उद्देश्य' है, सही नहीं लगता है।

(पैरा 4)

ने आगे कहा कि नियम 3 खंड (2) (xxii) में पंजाब राज्य

पंचायतघर या जांजघर के साथ अपनी अधिसूचना दिनांक 18.07.1967 के माध्यम से 'सामुदायिक केंद्र' जोड़ा गया, जिसके लिए किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि वास्तव में, इस तर्क ने प्रतिवादी-वादियों की मदद करने के बजाय यह स्थापित किया कि सामुदायिक केंद्र जंजघर के समान है। प्रतिवादी-वादियों द्वारा ऊपर जिस संशोधन पर भरोसा किया गया है, वास्तव में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामुदायिक केंद्र खंड (2) (xiii), यानी पंचायत घर या जंजघर या ग्राम चौपाल के तहत आता है।

(पैरा 4)

अभिनव सूद, अधिवक्ता

विक्रम सिंह, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

मनिंदर सिंह सैनी, प्रतिवादी Nos.1 और 2 के लिए अधिवक्ता।

D.K.Mittal, डीएजी, हरियाणा।

निर्मलजीत कौर**,** जे।

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित दिनांक 24.09.2018 आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके माध्यम से प्रतिवादी Nos.1 और 2 द्वारा दायर अपील को अनुमति दी गई थी।

(2) प्रतिवादी Nos.1 और 2 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया, जो कि ग्राम नानक पुरा संधोला, तहसील पेहोवा जिला कुरुक्षेत्र की ग्राम पंचायत है, ताकि उसे सामुदायिक केंद्र के निर्माण से रोका जा सके।उक्त मुकदमे के

साथ, आदेश 39 नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे सिविल जज (जूनियर डिवीजन), पेहोवा द्वारा दिनांकित 08.05.2018 आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।प्रतिवादी-वादियों ने उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र ने दिनांक 30.05.2018 के आदेश के माध्यम से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।मुकदमे में याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष एक दीवानी पुनरीक्षण दायर किया, जिसका निपटारा अपीलीय न्यायालय को मामले पर तेजी से निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया।इसके बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र ने दिनांक 24.09.2018 के आदेश के माध्यम से पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1964 (हरियाणा के लिए लागू) (संक्षिप्तता के लिए, '1964 नियम') के नियम 3 (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वाद के निर्णय तक सूट भूमि पर सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को रोक दिया, जिसके लिए खंड (xix) से खंड (xxviii) के तहत उल्लिखित भूमि के उपयोग के लिए राज्य की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

493

अन्य (निर्मलजीत कौर, जे

याचिकाकर्ता को रोकते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसे निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान की।उक्त आदेश को वर्तमान याचिका के माध्यम से दो आधारों पर चुनौती दी गई है, पहला, उचित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है और इस प्रकार पारित प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों को भेजा गया है और निर्माण की प्रक्रिया सरकार द्वारा अनुदान की उचित मंजूरी के बाद ही शुरू हुई है और दूसरा, किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सामुदायिक केंद्र का निर्माण 1964 के नियमों के नियम 3 के खंड 2 (xiii) के तहत आता है।यह पता लगाने के लिए कि क्या राज्य सरकार की किसी मंजूरी की आवश्यकता थी या नहीं और मुकदमे की प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने हरियाणा सरकार के सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों को वर्तमान याचिका के पक्षकारों के रूप में शामिल करना उचित समझा।तदनुसार, हरियाणा सरकार के सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा और हरियाणा सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों को क्रमशः प्रतिवादी Nos.9 और 10 के रूप में शामिल किया गया, जिन्हें अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के प्रधान सचिव द्वारा दिनांकित 18.07.2019 का हलफनामा

दाखिल किया गया है।उक्त हलफनामे के अनुसार, ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित किया जा रहा सामुदायिक केंद्र जंजघर की श्रेणी में है और इस प्रकार, इसके निर्माण के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।उक्त शपथपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः-

"यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम 1964 के नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (xiii) के प्रावधान के अनुसार, ग्राम पंचायत अपनी भूमि का उपयोग पंचायत घर या जांजघर या गाँव चौपाल के उद्देश्य से करने के लिए सक्षम है।ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित किया जा रहा सामुदायिक केंद्र जंजघर की श्रेणी में है और इस प्रकार, भूमि उपयोग योजना तैयार करके अपनी भूमि पर सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।"

(3) हरियाणा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ के सचिव द्वारा भी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि का स्वामित्व ग्राम पंचायत के नाम पर है।

और चूंकि स्वामित्व शिक्षा विभाग के पास नहीं है, इसलिए शिक्षा विभाग से किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। मामला वहीं रुकना चाहिए था।हालांकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण-राज्य का रुख गलत है क्योंकि यह विवादित आदेश से ही स्पष्ट था कि सामुदायिक केंद्र का निर्माण नियम 3 (2) (XXViii) की श्रेणी के तहत आता है, यानी बहु उद्देश्य के लिए, जिसके लिए सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।हालाँकि, 1964 के नियमों के नियम 3 (2) (XXViii) को देखते हुए प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील का तर्क कायम नहीं रखा जा सकता है, जो नीचे दिया गया हैः-

"3. XXX XXX

XXX

3(2) अधिनियम या इन नियमों के तहत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, पंचायत अधिनियम के तहत उसमें निहित जमीना का उपयोग या तो स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए कर सकती हैः-

((i) से (xii) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

(xiii) पंचायत घर या जांजघर या गाँव चौपाल।(xiv) से (XXVIi) XXX XXX

((xviii) कोई अन्य संबंध सामान्य उद्देश्य।"

(4) उपरोक्त नियम का परंतुक ग्राम पंचायत के लिए खंड (xix) से (xxviii) तक राज्य की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य बनाता है।यह तर्क कि सामुदायिक केंद्र का निर्माण खंड (2) के (xxviii) के तहत आता है, जो कि 'कोई अन्य संबंधित सामान्य उद्देश्य' है, सही नहीं लगता है।जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि सामुदायिक केंद्र जंजघर की श्रेणी में है।बी. डी. पी. ओ. ने भी कहा है कि वर्तमान में अधिकांश सामुदायिक केंद्रों का उपयोग जंजघरों के रूप में किया जाता है।प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील का तर्क कि सामुदायिक केंद्र को बाद में पंजाब के लिए 1964 के नियमों में जोड़ा गया था, जबकि 1964 के नियमों में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया गया था, जो वास्तव में हरियाणा पर लागू होता है, यह दर्शाता है कि सामुदायिक केंद्र को उसी खंड में पढ़ा जाना है।नियम 3 खंड (2) (xxii) में, पंजाब राज्य ने पंचायतघर या जांजघर के साथ अपनी अधिसूचना दिनांक 18.07.1967 के माध्यम से 'सामुदायिक केंद्र' जोड़ा, जिसके लिए किसी पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।यह स्पष्ट करता है कि वास्तव में, यह तर्क प्रतिवादी-वादियों की मदद करने के बजाय यह स्थापित करता है कि सामुदायिक केंद्र जंजघर के समान है। उपरोक्त संशोधन पर ही प्रतिवादी-वादी ने भरोसा किया।

वास्तव में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामुदायिक केंद्र खंड (2) (xiii), अर्थात पंचायत घर या जांजघर या ग्राम चौपाल के अंतर्गत आता है।

(5) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है।दिनांकित 24.09.2018 आदेश को याचिकाकर्ता को सामुदायिक केंद्र के निर्माण की स्वतंत्रता के साथ अलग रखा गया है। हालांकि, निर्माण मुकदमे के परिणाम के अधीन होगा।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण – सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

Suman